132
3.45

संख्या– 45 /VI-2/2017–52(11)14 टी0सी0

प्रेषक,

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग देहरादून दिनांक : 08 नवम्बर, 2017

विषय :– मसूरी स्थित यूथ छात्रावास में अतिरिक्त कक्ष एवं टायलेट के निर्माण कार्य के लिये धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या–2048/दो–लेखा/2543/2015–16 दिनांक 05.03.16 तथा पत्र संख्या–1179/दो–लेखा/2543/2016–17 दिनांक 25.10.16 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मसूरी स्थित यूथ छात्रावास में अतिरिक्त कक्ष एवं टायलेट के निर्माण कार्य हेतु **₹ 10.88 लाख** की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए लोक निर्माण विभाग (नवम वृत्त) देहरादून को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

2. कार्यदायी संस्था के द्वारा प्रस्तुत आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत **₹ 10.88 लाख** के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपरोक्त निर्माण कार्य के लिये प्रथम किश्त के रूप में **₹ 4.35 लाख (रूपये चार लाख पैंतीस हजार मात्र)** की धनराशि स्वीकृत करते हुए व्यय किये जाने हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

3. उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 एवं शासनादेश संख्या–400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015, शासनादेश सं0–474/XXVII(7)/2008 दि0–15–12–08 एवं शासनादेश संख्या–645/XXVII(1)/2015 दिनांक 04 जून, 2015, शासनादेश संख्या–1325/XXVII(1)/2015 दिनांक 16 नवम्बर, 2015 तथा शासनादेश संख्या–1336/XXVII(1)/2015 दिनांक 17 नवम्बर, 2015, शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31 मार्च, 2016, शासनादेश संख्या–847/XXVII(1)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016 तथा शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. प्रकरण में मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुवल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन नियमानुसार व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।

5. उक्त कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये। उक्त कार्य 18 माह में पूर्ण किया जाए।

6. उक्त निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का नियमानुसार परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा मानकों/विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाए।

7. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य आरम्भ किया जाए।

8. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। विशेष स्थिति में वित्त विभाग की अनुमति से ही स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

10. अधिप्राप्ति कार्यो हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

11. उक्त कार्य करते समय अधिप्राप्ती नियमावली–2017 के प्रावधानों के दृष्टिगत टेण्डर नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

12. उक्त कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु विभागाध्यक्ष के रूप में निर्देश से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।

13. उक्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश सं0–474/XXVII(7)/2008 दि0–15–12–08 तथा नियोजन विभाग के शासनादेश सं0–93/XXVI/छः(2)/2009 दिनांक 06.04.16 में विहित शर्तो के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2204–खेल कूद तथा युवा सेवायें–001–निदेशन तथा प्रशासन–06–युवा छात्रावासों का विकास–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मानक मद के नामें डाला जायेगा।

15. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–94(म0)/XXVII(3)/2017-18 दिनांक 01 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अंतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 45/VI-2/2017–52(11)14 टी0सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, नवम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।